

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

क्रमांक: 582

दिनांक: 24.11.2025

कार्यालय-आदेश

I

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 21/विविध/2025 दिनांक 06.11.2025 द्वारा अधिसूचना क्रमांक 09/ई.वी./2024 दिनांक 20.11.2024 के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों में गुरुवार दिनांक 25.12.2025 से बुधवार दिनांक 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित किया गया है अतः जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। शीतकालीन अवकाश अवधि में इन न्यायालयों के आवश्यक फौजदारी आवेदन जो सेशन न्यायालय के समक्ष पेश किये जाते हैं या लंबित हैं, को सुनने एवं निपटाने के लिए तथा इन्हीं न्यायालयों का उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि का आवश्यक दीवानी कार्य करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के तहत निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	अवधि
1	श्री अजय मीणा	ACJM (Rent Tribunal)	26.12.2025 व 29.12.2025
2	श्री मनीष कुमार जोशी	ACJM No.4, Udaipur	30.12.2025 व 31.12.2025

II

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 21/विविध/2025 दिनांक 06.11.2025 के अनुसार उदयपुर न्यायाक्षेत्र की न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर को छोड़कर अन्य अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-1/2/3/4 उदयपुर/वल्लभनगर/मावली-1/मावली-2/झाड़ोल/कानोड़/खैरवाड़ा/गोगुन्दा, विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी एक्ट कैसेज) उदयपुर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण) उदयपुर, किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर/दक्षिण, उदयपुर/गोगुन्दा/मावली/खैरवाड़ा/कोटडा/भीण्डर, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर/दक्षिण- 1/2, उदयपुर, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.कैसेज-1/2/3/4/5/6/7/8 उदयपुर, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन. आई. कैसेज-मावली, ग्राम न्यायालय गिरवा/ खैरवाड़ा शीतकालीन अवकाश दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक बंद रहेंगे। अतः उक्त अवधि में इन न्यायालयों में जमानत एवं निरोध अवधि की अवधि अभिवृद्धि (रिमाण्ड) संबंधी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिये माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के तहत निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	अवधि
1	श्री देवेन्द्र पुरी	ACJ & JM South No. 1, Udaipur	26.12.2025 व 29.12.2025
2	श्रीमती रेणु मोटवानी	Spl. JM (NI Act Cases) No.3, Udaipur	30.12.2025 व 31.12.2025

III

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 21/विविध/2025 दिनांक 06.11.2025 के अनुक्रम में शीतकालीन अवकाश की अवधि में विशिष्ट न्यायालय, एन.डी.पी.एस., सी.बी.आई कैसेज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, पोक्सो एक्ट प्रकरण न्यायालय भी बंद रहेंगे, लेकिन इन विशिष्ट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में कम से कम दो बार न्यायालयों में आवश्यक कार्य करने हेतु बैठेंगे। अतः उदयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त विशिष्ट न्यायालय अपने-अपने स्तर पर शीतकालीन अवकाश अवधि में कम से कम 02 बैठक दिवस तय कर उसकी सूचना सभी सम्बन्धित को प्रेषित करावें।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
उदयपुर (राज.)

क्रमांक : स्था./प्रशा./2025/5978-5987

दिनांक 24 11.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को प्रेषित है:-

1. स्टेण्डर्ड पृष्ठांकन "बी" के समस्त न्यायालय
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर
3. कोर्ट मैनेजर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर
4. वरिष्ठ मुंसरिम, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर
5. वरिष्ठ रीडर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर
7. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर
8. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, उदयपुर/खैरवाड़ा/मावली/वल्लभनगर/झाड़ोल/कानोड़/भीण्डर/कोटड़ा/गोगुन्दा
9. सहायक निदेशक अभियोजन, अभियोजन कार्यालय, उदयपुर
10. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
उदयपुर (राज.)